

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक 1
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षाकर्मों (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

1. नियम 6 के उपनियम (7) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

“(ख) शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति :—

(एक) संयुक्त संचालक/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. रायपुर द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो उप संचालक की श्रेणी से निम्न का न हो.

अध्यक्ष

(दो) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

सदस्य

(तीन) नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी.

सदस्य

(ग) चयन समिति के द्वारा तैयार की गई गुणागुण सूची के आधार पर शासन इस निमित्त विहित किए गए प्रावधान अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी.

- (घ) चयन से संबंधित शेष अन्य समस्त कार्य का निष्पादन तथा चयन प्रक्रिया के विषय में उठाई गई किसी आपत्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा. चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष चयन सूची को आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगी तथा यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 15 दिन के अंदर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो संबंधित नगर पालिक निगम के आयुक्त या नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-42/18/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-42/18/2006 दिनांक 20-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 20th July 2011

NOTIFICATION

No. F 4-42/2006/18.—In exercise of the powers conferred by section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 95 read with Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Shikshakarmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 as namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. After clause (a) of sub-rule (7) of Rule 6, the following clause shall be added, namely :—

"(b) Selection committee for appointment of Shikshakarmi :—

(one)	Joint Director/Dy. Director, Urban Administration & Development or officer appointed by the Commissioner/Director, Urban Administration & Development, C.G. Raipur who is not below the rank of Deputy Director.	President
-------	--	-----------

(two)	Distt. Education Officer/Asstt. Commissioner, Tribal Development.	Member
-------	---	--------

(three)	Commissioner/Chief Municipal Officer of the concerned Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat.	Member
---------	---	--------

- (c) The process of selection will be made on basis of merit list prepared by the selection committee as per the provision prescribed by the government in this behalf.

- (d) All other remaining works related to selection shall be performed and any objection raised regarding selection process shall be considered by the Appointing authority. Selection committee shall submit the select list to the appointing authority for issuing orders and if the appointments are not made within 15 days of time by the appointing authority, then appointment proceeding shall be drawn by the Commissioner of concerned Municipal Commissioner or the Chief Municipal Officer of Municipalities/Nagar Panchayat."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.